न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

बईजलास श्वेता यादव (आर.ए.एस) सहायक कलेक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या– 68/2016

ईश्वरसिंह पुत्र गोपीचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम कोटिया जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मांगीलाल

2. नाथूराम पुत्र कानाराम

3. रामकुंवार पुत्र नाथूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

4. मुकेश कुमार पुत्र जगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

5. नन्द कुमार पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नाहड तहसील कौसली जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

6. ललिता देवी पत्नी प्रकाश चन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम कूजोता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

7. शान्ति देवी पत्नी फूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

8. प्रेम लता पत्नी मूलचन्द जाति स्वामी निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

9. लालचन्द पुत्र बुद्वाराम

10. मनोज कुमार पुत्र पैपसिंह

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

11. प्रहलाद पुत्र पांचू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

12. सुशीला पत्नी स्व. श्री औमप्रकाश

13. जोनी पुत्र स्व. श्री औमप्रकाश

14. दिव्या पुत्री स्व. श्री औमप्रकाश

प्रतिवादी संख्या 13 व 14 नाबालिग जरिये वली माता सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री औमप्रकाश

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

15. गीता देवी पत्नी रामस्वरूप जाति गुवारिया निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

16. धर्मेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

17. सन्तोष देवी पत्नी किशनलाल

18. सोमवती उर्फ सामौती पत्नी महेश कुमार

समस्त जाति धानका निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

19. रामेश्वर पुत्र अर्जनलाल

20. ख्यालीराम पुत्र अर्जनलाल

समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी मगराला तन किराडोद तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

21. सन्तोष देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति अहीर निवासी ढाणी सितोकसिंह वाली तन पाचुडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

22. भरतमल पुत्र ग्यारसीलाल जाति जाट निवासी ग्राम भांकरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

23. अर्जुन लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

25. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 3/4/18

वकील वादी ने एक वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1746/0.41 वाकै मौजा प्रागपुरा तहसील कोटपूतली के वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार कास्तकार है जिसमे से वादी का हिस्सा 250/4100 व शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है जिसको वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 ने मौके पर बांट रखा है उपरोक्त आराजी का शामिल खाता होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन लगान सम्बन्धित व अन्य कई प्रकार के विवाद उत्पन्न

सहायक कलक्टर

होते रहते है इसलिये वादी ने अनेको बार प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी मुतदाविया का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे तकास्मा करवाने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व तकास्मा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा तल्ब किया गया बावजुद इसके प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1746/0.41 मे 250/4100 हिस्सा व शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन लगान सम्बन्धित विवाद रहता है। अतः वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तल्ब करवाने के आदेश फरमावे।

वकील वादी की बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा तकास्मा का है एवं वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार है। अतः दिनांक 12.06.2017 को दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। दिनांक 06.09.2017 को तहसीलदार कोटपूतली द्वारा वादग्रस्त आराजी की कुर्रेजात रिपॉर्ट पेश की जो शामिल मिशल की गई।

हमने कुर्रेजात रिपॉर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेजात रिपॉर्ट पर वादी वकील को सुना। दावा तकास्मा का होने एवं कुर्रेजात रिपॉर्ट के अवलोकन से वादी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपॉर्ट निर्णय का भाग रहेगा तथा निर्णय के साथ पढा जाएगा। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर तहसीलदार कोटपूतली का इस आशय की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 3/4/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)